न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 47 / 2020 तारीख रजू 28.01.2020

1. मुंशी बंजारा पुत्र कमाल जाति मुसलमान बंजारा निवासी ढाणी हसनपुरा कंवरपुरा (शिवाड़) तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

......अपीलान्ट

बनाम

1. कुलदीप 2. अनिल 3. कालूराम 4. मनीष पुत्रान डूंगरमल जाति कोली निवासीयान ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

वकील अपीलान्ट्स–श्री अब्दुल वहाब
वकील रेस्पोडेन्टस–श्री सुधीर कुमार जैन

निर्णय दिनांकः– 03.08.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 06 / 2016 मे पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 हैक्ट0 वाके ग्राम कंवरपुरा से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी [illegible] की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अदालत मातहत में [illegible] एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश [illegible] जिस पर अपीलान्ट की तलबी की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को [illegible] जाकर 183 बी [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर [illegible] गये। यह है कि अ[illegible] मातहत द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ रूयेदाद मिसल होने की सूरत में काबिले निरस्त है। यह है कि अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया और न ही appriciate कर discuss किया और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया। जो निरस्त होने योग्य है। यह है कि अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि वास्तविक रूप से किस व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए था लेकिन एक तृतीय पक्षकार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के कारण वास्तविक पक्षकार की सुनवाई किये बिना ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह है कि वास्तविकता यह है कि साविक खसरा नम्बर 129 वाके ग्राम कंवरपुरा (शिवाड) काफी बडज्ञ रकबा था, में रेस्पोडेन्ट प्रार्थीयान के पिता डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली एवं नानगराम फतेहलाल पिसरान मांगीलाल कोली की 5–5 बीघा भूमि की खातेदारी थी लेकिन अभी हाल में हुए सेटिलमेन्ट के दौरान उक्त साविक खसरा नम्बर 129 से बने नवीन खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 हैo नानगराम फतेहलाल के नाम गलत खातेदारी अंकित कर दी जबकि डूंगरमल का नवीन खसरा नम्बर 568 पर व नानगराम फतेहलाल का नवीन खसरा नम्बर 571 पर कब्जा चला आ रहा है नानगराम फतेहलाल को सेटिलमेंट विभाग वालो के द्वारा की गई इस गलती की जानकारी हुई तो नानगराम फतेहलाल वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट मुoनंo 48/011 उनवानी नानगराम वगैरा बनाम डूंगरमल न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहां प्रस्तुत किया जिस पर मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा ने दिनांक 10.10.2014 को नानगराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली निवासी शिवाड के नाम दर्ज खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 हैo हजफ कर नानगराम, फतेहलाल, पन्नी, सीता शांति व शंकरलाल के नाम खसरा नंo 571 रकबा 1.26 हैo भूमि खातेदारी दर्ज करने एवं खसरा नंo 568 रकबा 1.27 हैo की खातेदारी डूंगरमल पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये लेकिन अदालत मातहत ने इस तथ्य के संबंध में कोई अवलोकन कर finding नहीं दी और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो कि निरस्त होने योग्य है। यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा 136 एलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने माननीय संभागीय आयुक्त महोo [भ]रतपुर के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है जो इस समय विचाराधीन है जिसकी प्रति भी [अ]पीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दी परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों को भी [अ]पने निर्णय में कहीं अंकन नहीं किया [illegible] निर्णय जैरे बहस निरस्त होने योग्य है। यह [कि] नानगराम फतेहलाल कोली के नाम खसरा नम्बर 571 [illegible] रिकार्ड में इन्द्राज होने [के] आदेश है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से [मिल]कर उक्त निर्णय का अंकन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

होने दिया जबकि नानगराम व फतेहलाल ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 अपीलांट को साझे बांटे पर काश्त हेतु बता रखी है तथा नानगराम वगैरा के आधार पर ही अपीलांट उक्त भूमि को साझे बाटे पर काश्त करता चला आ रहा है और इस समय अपीलांट की फसल सरसो खेत में सरसब्ज खडी हुई है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से फतेहलाल का शपथ पत्र भी अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया था परन्तु अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों का भी अपने निर्णय में कहीं भी अंकन नहीं किया और सरसरी तरीके से ही निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि नवीन खसरा नम्बर 571 पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा नवीन खसरा नम्बर 571 से रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण कुलदीप की खातेदारी से नाम इजरू किए जाने के आदेश हो चुके हैं तो उनका खसरा नम्बर 571 से कोई संबंध या वास्ता नही रहा है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के निर्णय व अपील के तथ्यों को छिपाते हुए एक तृतीय पक्षकार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 183(बी) आरटी एक्ट प्रस्तुत कर दिया जबकि नानगराम व फतेहलाल को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया जबकि वह आवश्यक पक्षकार है इसलिए बिना पक्षकार बनाये प्रा0पत्र चलने योग्य नहीं होते हुए भी निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस अपीलांट से नाराज होकर पारित किया है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अदालत मातहत का रीडर श्री नरेन्द्र वर्मा जो कि रेस्पोडेन्ट का दूर का रिश्तेदार है जो अदालत मातहत की कार्यवाही को प्रभावित कर रहा था इसलिए अपीलांट ने अदालत मातहत से पत्रावली मुन्तकिल करवाने हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहां प्रस्तुत किया जो निरस्त होने पर अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस किया है जिसको उन्होंने अपने निर्णय में भी अंकन किया है इसलिए निर्णय जैरे बहस रंजिश रखते हुए पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कोई टाइटल नहीं है तथा प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के यहां विचाराधीन है जहां से प्रकरण का निस्तारण होना बाकी है लेकिन उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दिय जाने के उपरान्त भी अदालत मातहत ने निर्णय जैरे बहस पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी 1 स्थित है जो रेस्पोडेन्ट्स को विरासत में मिली है इससे पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के पिता डूंगरमल पुत्र मांगीलाल कोली की खातेदारी में थी डूंगरमल की मृत्यु के बाद आराजी नामान्तकरण सं. 155 निर्णय दिनांक 07.09.2015 द्वारा रेस्पोडेन्ट्स [illegible] हुई है। जमाबंदी सम्वंत 2071 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

2074 के अनुसार ही हम खातेदार व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है0 पर लट्ठ के जोर पर जबरन कब्जा कर लिया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के पिता ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर में दावा पेश किया था जिसमें दिनांक 19.01.2006 को प्रार्थी के पिता के हक में डिक्री कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की रेस्पोडेन्ट्स के पिता डूंगरमल ने न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर की अदालत में डिक्री की इजराय पेश की जिसमें तहसीलदार चौथ का बरवाडा को डिक्री का क्रियान्वयन करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में दिनांक 17.06.2006 को मौके पर रेस्पोडेन्ट्स के पिता को ख0नं0 571 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा का कब्जा संभलाया था। अपीलान्ट जो सवर्ण जाति का है के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी की भूमि ख0नं0 571 रकबा 1.26 है0 पर जबरन लट्ठ के जोर पर कब्जा करने पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत हमारे द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के यहाँ प्रस्तुत करने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 10.10.2014 को आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है0 पर जबरन कब्जा कर हडपना चाहते है। अंत में वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 को विधि एवं नियमों के अनुसार सही पारित करना बताया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने बाबत निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट्स कुलदीप वगै0 द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.26 है0 पर अपीलार्थी ने लट्ठ के जोर पर कब्जा कर लिया है जिसको पुलिस इमदाद द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या [illegible]6/16 दिनांक 24.08.16 को दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उभय पक्षो को सुना जाकर दिनांक 08.01.2020 को रेस्पोडेन्ट्स कुलदीप वगै0 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जॉच कराई गयी मुताबिक पर्चा मौका दिनांक 26.12.2016 के द्वारा पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट मे यह अंकित किया ख0नं0 571 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा कुलदीप, अनिल, [illegible] मनीष पि. डूंगरमल [illegible]वती मैना पुत्रिया डूंगरमल जाति कोली के नाम दर्ज [illegible] है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 का अवलोकन करने पर भी पटवारी [illegible] होती है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी पक्षकार [illegible] का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। जमाबंदी, पटवारी रिपोर्ट से [illegible] होता है कि उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ख0नं0 571 रकबा 1.26 है0 अपीलान्ट की खातेदारी है। अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा मु0नं0 257/20 डूंगरमल बनाम नानगराम में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में दिये गये निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ऑडरशीट पर पारित निर्णय दिनांक 17.05.2022 की प्रतिलिपि पेश की है। अपीलान्ट को न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय की पालना बाबत् सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 08.01.2020 के विरूद्ध अपील पेश की है जिसके संबंध में अपीलान्ट आराजी ख0नं0 571 रकबा 1.26 है0 पर अपनी खातेदारी साबित करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 किो बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested